



महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय
Mahatma Gandhi Antarrashtriya Hindi Vishwavidyalaya

(संसद द्वारा पारित अधिनियम 1997, क्रमांक 3 के अंतर्गत स्थापित केंद्रीय विश्वविद्यालय)
(A Central University Established by Parliament by Act No. 3 of 1997)

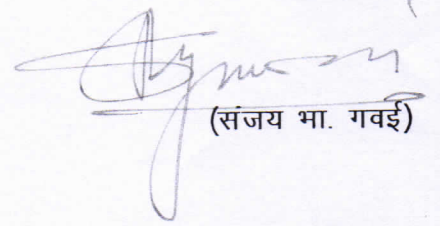
संजय भा. गवई
कुलसचिव
Sanjay B. Gawai
Registrar

दूरभाष/Phone : + 91-7152-230902
फैक्स/Fax : + 91-7152-230902

F.No. : 006/Estt./Gen. Voll.III/2015/4557
Date : 22/04/2015

अधिसूचना

माननीय कार्य-परिषद की 53^{वीं} बैठक दिनांक 16.03.2015 के मद संख्या 08 में लिए गए निर्णयानुसार विश्वविद्यालय में 179 दिनों के लिए पूर्णतः अस्थायी/अंशकालीन तौर पर नियुक्त शैक्षणिक एवं गैर-शैक्षणिक कर्मियों को मात्र चार आकस्मिक अवकाश देय होंगे, अन्य किसी भी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा।


(संजय भा. गवई)

प्रतिलिपि-

1. कुलपति कार्यालय
2. प्रतिकुलपति कार्यालय
3. समस्त संकायाध्यक्ष/निदेशक/विभागाध्यक्ष/विभाग प्रमुख/केंद्र
4. कुलसचिव कार्यालय
5. वित्ताधिकारी कार्यालय
6. प्रभारी, लीला को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. संबंधित पत्रावली
8. गार्ड फाइल